

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर**

(न्याय निर्णयन अधिकारी : वीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 74/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

**अनवान**

1. राज्य सरकार जरिये श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

-प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री रमेश पटेल पिता श्री छगनलाल पटेल डांगी, विक्रेता मैसर्स श्रीनाथ डेयरी एवं स्वीट्स पी.एन. 6, एकलव्य कॉलोनी, दुधिया गणेश जी रोड, मल्लातलाई तह.गिर्वा उदयपुर स्थान पता- रख्यावल तह.मावली जिला उदयपुर। मो.न. 9782343616

-विपक्षीगण

**उपस्थित**

1. श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011




**●निर्णय●**

दिनांक 28-03-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा. /ग्रुप-3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 14.04.2023 को 12.35 पी.एम. बजे वास्ते चेकिंग मैसर्स श्रीनाथ डेयरी एवं स्वीट्स पी.एन. 6, एकलव्य कॉलोनी, दुधिया गणेश जी रोड, मल्लातलाई उदयपुर पर पहुँचे, वहाँ विपक्षी श्री रमेश पटेल उपस्थित पाये गये, जिन्होंने स्वयं को मैसर्स श्रीनाथ डेयरी एवं स्वीट्स पी.एन. 6, एकलव्य कॉलोनी, दुधिया गणेश जी रोड, मल्लातलाई उदयपुर का विक्रेता/मालिक/अनुज्ञापत्रधारी होना बताया।

निरीक्षण के समय डेयरी पर एल्यूमिनियम की एक कैन में 40 लीटर दूध (भैंस) का विक्रय हेतु रखा हुआ था। सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त दूध को प्लीजर की सहायता से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप करके 2 लीटर भैंस का दूध वास्ते जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर (राज.)



किया। जिसकी सूचना विपक्षी संख्या 1 को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा दूध की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 108रु. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा दूध को एफ.एस.एस. (राज.) के तहत नियमानुसार विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिती में प्लास्टिक के चार साफ, सुखे व खाली प्लास्टिक के जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर फार्मलीन की 40 बूंदे प्रत्येक जार में डालकर इनका मुंह ढक्कन की सहायता से कसकर टाईट बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी संख्या 1, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए-2207 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूने के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूने के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/4488 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/301/एक्ट/2023/301 दिनांक 26.04.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Milk Solids not Fat Should be 9.0% min. होना चाहिए था कि जगह 07.72% पाया गया।

विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/4489 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
उदयपुर (राज.)



अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ/एस.एस.ए./2023/9768 दिनांक 28.10.2023 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी संख्या 1 स्वयं उपस्थित रहा लेकिन पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। लगातार तारिख पेशी पर अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में दिनांक 27.03.2023 को प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रकरण स्वीकार किया जाकर आरोपी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय डेयरी पर एल्यूमिनियम की एक कैन में 40 लीटर दूध (भैंस) का विक्रय हेतु रखा हुआ था। सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त दूध को प्लीजर की सहायता से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप करके 2 लीटर भैंस का दूध वास्ते जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली स्टील की भगोनी में मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी संख्या 1 को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया, क्योंकि Milk Solids not Fat Should be 9.0% min. होना चाहिए था कि जगह 07.72% पाया गया।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(राज.)

चूंकि प्रकरण मे आरोपी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹50,000/-रु अक्षरे रूपया पचास हजार मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



( दीपेन्द्र सिंह राठौर )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर